



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1281]
No. 1281]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 13, 2009/श्रावण 22, 1931
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 13, 2009/SRAVANA 22, 1931

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2009

का. आ. 2124(अ).—जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी, अधिनियम, 2008 (2008 का 19) की उप-धारा 6(2) के साथ पठित उप-धारा 5(1)(ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक सभा के निम्नलिखित दो सदस्यों को जिपमेर, पुडुचेरी के संस्थान निकाय के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित किया गया है :—

1. डॉ. संजय जायसवाल
2. श्री एस. एस. रामासुब्बु

[फा. सं. ए-12034/29/2008-एमई. III]

बी. के. प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2009

S.O. 2124 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section 5 (1) (k) read with sub-section 6(2) of the Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research, Puducherry Act, 2008 (19 of 2008), the following two Members of Lok Sabha have been elected to serve as members of the Institute Body of JIPMER, Puducherry :—

- (i) Dr. Sanjay Jaiswal
- (ii) Shri S. S. Ramasubbu

[F. No. A-12034/29/2008-ME. III]

B. K. PRASAD, Jt. Secy.